

न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 91/2017 वाद

दायर दिनांक:- 18/10/2017

निर्णय दिनांक:- 19/03/2019

अनवान

1. गिरधारीसिंह पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह0-रेलमगरा
2. उच्छवकुंवर पत्नि स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह0- रेलमगरा
3. गोपालकुंवर पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह0- रेलमगरा
4. मोहनकुंवर पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह0- रेलमगरा

वादीगण

बनाम

01. चन्द्रभानसिंह पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह0- रेलमगरा
02. भंवरसिंह पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह0- रेलमगरा
03. लक्ष्मणसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह0- रेलमगरा
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तह0- रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन के प्रस्तुत किया कि ग्राम सिन्देसर कला में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 18, 22, 24, 317, 319, 320, 323, 324, 328, 329, 330, 331, 998, 1004, 1010, 1011, 1012 कुल किता-17 कुल रकबा 73-19 बीघा स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमियों में वादीगण को 1/7-1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 का 1/7-1/7 हिस्सा है। उक्त भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाया जावे। जिस पर इस न्यायालय द्वारा विधिवत बाद सुनवाई के क्रमशः दिनांक 06/09/2011 को प्रारम्भिक डिक्री एवं 07/02/2012 को अन्तिम निर्णय/डिक्री पारित

सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)

किया गया। उक्त आदेश की अपील प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 द्वारा अपीलीय न्यायालय श्रीमान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26/07/2017 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16/09/2011 को यथावत रखा जाकर निर्णय दिनांक 07/02/2012 को अपास्त किया गया तथा इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक निर्देश R.R.T. 2017 (1) पेज 689 में वर्णित निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब कर विधिक निर्णय पारित करें। माननीय अपीलीय न्यायालय श्रीमान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर के उक्त निर्देश की पालना में तहसीलदार रेलमगरा से विभाजन योजना प्राप्त हुई। वादी का वाद बाबत् विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त विभाजन योजना अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

#### विभाजन प्रस्ताव


क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	गिरधारीसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	18	00-06	-
		22	03-12	27.12
		324/2	00-12	00.18
		1010/1	00-02	00.05
		1011	02-09	02.20
		1012	02-18	06.74
<b>योग</b>		<b>06</b>	<b>10-19</b>	<b>27.29</b>
02	चन्द्रभानसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	319/2	05-08	02.70
		320/1	00-07	01.57
		323/2	00-14	00.35
		324/1	01-00	00.30
		1004	03-01	01.52
<b>योग</b>		<b>05</b>	<b>10-10</b>	<b>06.45</b>
03	मेहनकुंवर पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	324/2	10-10	03.15
<b>योग</b>		<b>1</b>	<b>10-10</b>	<b>03.15</b>

सहायक कलक्टर  
उदयपुर

04	उच्छवकुंवर पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	324 / 3	02-12	00.78
		328	04-11	10.24
		329	00-02	—
		330	01-13	03.98
		331	01-12	00.80
<b>योग</b>		<b>05</b>	<b>10-10</b>	<b>15.80</b>
05	भंवरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	317	01-12	00.80
		319	03-00	01.50
		323	00-10	00.25
		1010	05-05	11.18
		1011 / 1	00-04	00.18
<b>योग</b>		<b>05</b>	<b>10-11</b>	<b>13.91</b>
06	लक्ष्मणसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	24	02-12	13.18
		319 / 1	03-15	01.88
		320	00-12	01.67
		323 / 1	00-13	00.33
		998	02-17	07.60
<b>योग</b>		<b>05</b>	<b>10-09</b>	<b>24.65</b>
07	गोपालकुंवर पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	324 / 1	10-10	03.15
		<b>योग</b>		<b>01</b>

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। यदि किसी हिस्से पर रहन हो तो पूर्वानुसार यथावत रखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

  
 (चन्द्रशेखर भण्डारी)  
 सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा

**मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द**  
**पीठासीन अधिकारी :- चन्द्रशेखर भण्डारी, आर० ए० एस**  
**राजस्व वाद संख्या :- 91/2017 वाद**

**वादीपक्ष :-**

1. गिरधारीसिंह पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह०-रेलमगरा
2. उच्छवकुंवर पत्नि स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह०- रेलमगरा
3. गोपालकुंवर पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह०- रेलमगरा
4. मोहनकुंवर पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह०- रेलमगरा

-: बनाम :-

**प्रतिवादीपक्ष :-**

01. चन्द्रभानसिंह पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह०- रेलमगरा
02. भंवरसिंह पिता स्व. भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह०- रेलमगरा
03. लक्ष्मणसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी सिन्देसर कला तह०- रेलमगरा
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तह०- रेलमगरा

**दावा :- विभाजन**

**वादी की ओर से :- अधिवक्ता- आर०के० सनादय**

**प्रतिवादी की ओर से :- अधिवक्ता- -**

में इस आशय में दिनांक 19/03/2019 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त विभाजन योजना अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

**विभाजन प्रस्ताव**

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	गिरधारीसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	18	00-06	-
		22	03-12	27.12
		324/2	00-12	00.18
		1010/1	00-02	00.05
		1011	02-09	02.20
		1012	02-18	06.74
<b>योग</b>		<b>06</b>	<b>10-19</b>	<b>27.29</b>
02	चन्द्रभानसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	319/2	05-08	02.70
		320/1	00-07	01.57
		323/2	00-14	00.35
		324/1	01-00	00.30
		1004	03-01	01.52
<b>योग</b>		<b>05</b>	<b>10-10</b>	<b>06.45</b>
03	मेहनकुंवर पिता भैरूसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	324/2	10-10	03.15
		<b>योग</b>		<b>1</b>


सहायक कलक्टर  
 (पीठासीन अधिकारी)

04	उच्छवकुंवर पिता स्व. भैरुसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	324 / 3	02-12	00.78
		328	04-11	10.24
		329	00-02	—
		330	01-13	03.98
		331	01-12	00.80
योग		05	10-10	15.80
05	भंवरसिंह पिता भैरुसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	317	01-12	00.80
		319	03-00	01.50
		323	00-10	00.25
		1010	05-05	11.18
		1011 / 1	00-04	00.18
योग		05	10-11	13.91
06	लक्ष्मणसिंह पिता भैरुसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	24	02-12	13.18
		319 / 1	03-15	01.88
		320	00-12	01.67
		323 / 1	00-13	00.33
		998	02-17	07.60
योग		05	10-09	24.65
07	गोपालकुंवर पिता भैरुसिंह राजपूत सा.देह खातेदार	324 / 1	10-10	03.15
		योग	01	10-10

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। यदि किसी हिस्से पर रहन हो तो पूर्वानुसार यथावत रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 19/03/2019 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।



  
 (चन्द्रशेखर भण्डारी)  
 सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा